अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(ऐसे अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १९.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३
	आयुक्त न्यायालय, कोशी प्रमण्डल, सहरसा भूमि विवाद अपील संख्या–516/2012 1 भूपेन्द्र नारायण सिंह, पिता स्वर्गीय शत्रुहन सिंह अपीलकर्त्ता संख्या–.....1 2. अमरेन्द्र नारायण सिंह, पिता स्वर्गीय महेश्वर प्रसाद सिंह ग्राम–रहुआमणि, थाना–वनगॉव, जिला–सहरसा .अपीलकर्त्ता संख्या.....2 बनाम 1. मोहम्मद खलील उद्दीन, पिता स्वर्गीय मियॉं जान मियॉं विपक्षी संख्या.....1 2. मोहम्मद सत्तार मियॉं पिता स्वर्गीय नाजिमुद्दीन मियॉं ग्राम रहुआमणि, थाना–वनगॉव, जिला–सहरसा विपक्षी संख्या.....2 3. राज्य सरकार द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सहरसा विपक्षी संख्या.....3 **आदेश**	
9-12-2014	1. यह अपील, अपीलकर्त्ता द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सहरसा के भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या–29/2012 में पारित आदेश दिनांक 03.11.2012 के विरूद्ध दाखिल किया गया है। 2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा विद्वान सरकारी अधिवक्ता को भी सुना। 3. अपीलकर्त्ता का उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से कथन है कि उनके द्वारा निम्न न्यायालय में भूमि वाद संख्या–29/2012 दाखिल किया गया था कि मौजा–रहुआमणि में स्थित खाता 287 पुराना खेसरा 583 पुराना खेसरा 1295 रकवा 1 कट्ठा 8 धूर जमीन का रैयती हक घोषित किया जाय एवं सीमाकंन किया	

जाय। पुराना खाता 287 पुराना खेसरा 583 दिनांक 27.12.1971 ई0 को उपेन्द्र नारायण सिंह से कमला देवी (अपीलकर्त्ता संख्या-1 की माता) एवं अर्चना देवी (अपीलकर्त्ता संख्या-2 की पत्नी) के नाम से खरीदगी की गयी एवं वे दखलकार हुए। हाल सर्वे में भी खतियान शत्रुघन सिंह (अपीलकर्त्ता संख्या-1 के पिता) एवं अपीलकर्त्ता संख्या-1 के चाचा के नाम से खुला, जिसका खाता नया 341 एवं खेसरा नया 1295 बना। उक्त जमीन का रकवा 4 कट्ठा 12 धूर था, जिसमें 2 कट्ठा 6 धूर अपीलकर्त्ता का है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि विपक्षी के द्वारा नजायजरूप से 03 कट्ठा का वासगीत पर्चा हासिल किया गया, जिसके विरूद्ध आपत्ति दी गयी, जिसका केस संख्या-1/90-91 दर्ज हुआ। आपत्ति देने के बाद पर्चा को संशोधित कर 04 डीसमील (18 धूर) का पर्चा निर्गत किया गया एवं कर्मचारी को इसकी सूचना पत्रांक 379-2 दिनांक 07.09.1990 द्वारा दी गयी एवं उक्त खेसरा में मात्र 18 धूर जमीन को ही पर्चाधारी को दिया गया। इसके विरूद्ध विपक्षी के द्वारा वाद सक्षम न्यायालय/समाहर्त्ता न्यायालय में दाखिल करना चाहिए था, जो नही दाखिल किया गया। बिक्री के बाद शेष 1 कट्ठा 8 धूर अपीलकर्त्ता के पास बचा रहा। उसके वावजूद विपक्षी द्वारा अपीलकर्त्ता के जमीन पर नजायज रूप से दावा करते हुए घर मकान बनाना शुरू कर दिया गया, जिसके कारण अपीलकर्त्ता को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सहरसा के न्यायालय में वाद दाखिल करना पड़ा। विपक्षी द्वारा नजायज रूप से अपीलकर्त्ता के ही 1 कट्ठा 8 धूर पर दावा किया जा रहा है एवं अंचल कार्यालय द्वारा पर्चा में संशोधन होने के बाद भी 03 कट्ठा का लगान रसीद निर्गत किया जा रहा है। विपक्षी भूमिहीन नही है। उन्हे दूसरे वासडीह एवं दीगर जमीन हासिल है। विपक्षी का दावा विधि सम्मत् नही है। विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सहरसा द्वारा नजायज रूप से पर्चा निर्गत किये जाने के आदेश, जिसके द्वारा पर्चा में सुधार किया गया है, उक्त आदेश को मान्यता नही दी गयी। अतः निम्न न्यायालय का आदेश गलत एवं निरस्त योग्य है। विपक्षी प्रश्रय प्राप्त रैयत नही है, उन्हे वासगीत एवं खरीदगी की जमीन हासिल है। उन्हे 5 कट्ठा 10 धूर जमीन वासगीत का हासिल है। उनके द्वारा नजायज रूप से अपीलकर्त्ता के जमीन को अतिक्रमित कर लिया गया है। अपीलकर्त्ता को शेष बची जमीन 1 कट्ठा 8 धूर का सीमांकन करा कर दखल दिलाया जाय। अंचल अधिकारी को बिहार प्रिभिलेज परसन होम स्टीड टेनेन्सी एक्ट के तहत अपने आदेश में सुधार करने का अधिकार प्राप्त है, जिसके तहत विपक्षी के नाम से निर्गत पर्चा में दर्ज रकवा 03 कट्ठा में सुधार कर 18 धूर किया गया है। वाद संख्या-40/11-12 में वे पक्षकार नही थे। निम्न न्यायालय का आदेश सही नही है।

4.. विपक्षी का उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से कथन है कि अपीलकर्त्ता द्वारा स्वीकार किया गया है कि विवादित जमीन पर विपक्षी को वासगीत

पर्चा निर्गत है। अपीलकर्त्ता द्वारा दाखिल इस वाद में विवादित जमीन खाता पुराना 287 खेसरा पुराना 583 रकवा 1 कट्ठा 8 धूर बताया गया है, जबकि निम्न न्यायालय में 2 कट्ठा 6 धूर के आधार पर विवाद बतलाया गया है। अपीलकर्त्ता द्वारा फर्जी केवाला संख्या-18367 दिनांक 27.12.1971 के आधार पर केवाला संख्या-13306 दिनांक 11.10.2010 द्वारा मो0 मुस्लिम पिता मो0 तमसूल साकिन रहुआमणि को बिक्री दस्तावेज बनाया गया। मो0 मुस्लिम द्वारा भूमि विवाद संख्या-40/2011 बनाम खलील उद्दीन एवं अन्य के विरूद्ध किया गया, विपक्षी के पक्ष में दिनांक 19.07.2011 को आदेश पारित हुआ। पुनः अपीलकर्त्ता द्वारा उसी फर्जी दस्तावेज के आधार पर निम्न न्यायालय में भूमि विवाद संख्या-29/2012 दाखिल किया गया, जिसमें दिनांक 03.11.2012 को आदेश पारित किया गया, जो सही है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि विपक्षी के पूर्वज नजीरउद्दीन पिता मियॉ जान को खाता पुराना 287 खेसरा पुराना 583 रकवा 1 कट्ठा 10 धूर जमीन, जिसमें मकान मय सदन अवस्थित है, का वासगीत दिनांक 06.12.1976 से प्राप्त है, जिसका जमाबन्दी नम्बर 1393 वर्ष 2010-11 तक का मालगुजारी रसीद प्राप्त है। उक्त जमीन पर घर मकान बनाकर रहते आ रहे है। अंचल निरीक्षण का प्रतिवेदन दिनांक 13.07.2012 एवं अंचल अमीन का नापी प्रतिवेदन दिनांक 06.01.2012 में भी विपक्षी का घर मकान विवादित भूमि के बासगीत पर्चा के सम्पूर्ण रकवा 03 कट्ठा पर होने का दिया गया है। विपक्षी संख्या-1 एवं 2 को 1 कट्ठा 10 धूर एवं 1 कट्ठा 10 धूर जमीन का वासगीत पर्चा प्राप्त है।

5. निम्न न्यायालय का अभिलेख, आदेश, वाद अभिलेख पर उपलब्ध कागजात, अपीलकर्त्ता का दाखिल लिखित बहस दिनांक 09.12.2014, विपक्षी का दाखिल प्रत्युन्तर दिनांक 16.08.2014, लिखित बहस दिनांक 09.12.2014 का अवलोकन किया। उभय पक्षों द्वारा बहस के दौरान रखे गये तथ्यों पर भी गौर किया। अपीलकर्त्ता का दावा है कि पुराना खाता 287 पुराना खेसरा 583 दिनांक 27.12.1971 को भूपेन्द्र नारायण सिंह से अपीलकर्त्ता संख्या-1 की माता एवं अपीलकर्त्ता संख्या-2 की पत्नी के नाम से खरीदगी की गयी एवं वे दखलकार हुए। हाल सर्वे में खाता भी अपीलकर्त्ता संख्या-1 के पिता एवं चाचा के नाम से खुला। उक्त खेसरा के कुल रकवा में अपीलकर्त्ता का 2 कट्ठा 6 धूर जमीन था। विपक्षी द्वारा नाजायज रूप से हासिल 3 कट्ठा के वासगीत पर्चा के विरूद्ध उनके (अपीलकर्त्ता) द्वारा आपत्ति दी गयी एवं संशोधन होने के बाद 04 डीसमील (18 धूर) का पर्चा निर्गत किया। बिक्री के बाद शेष 1 कट्ठा 8 धूर अपीलकर्त्ता का बचा हुआ है। वाद संख्या-40/11-12 में वे पक्षकार नही थे। वहीं विपक्षी का दावा है कि विपक्षी के पूर्वज नजीर उद्दीन को खाता पुराना 287 खेसरा पुराना 583 रकवा 1 कट्ठा 10 धूर जमीन दिनांक 06.12.1976 से प्राप्त है। विपक्षी संख्या-1 एवं 2

को 1 कट्ठा 10 धूर एवं 1 कट्ठा 10 धूर का वासगीत पर्चा प्राप्त है। विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सहरसा के आदेश दिनांक 03.11.2012 के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि उनके द्वारा पाया गया कि अंचलाधिकारी के द्वारा दिनांक 06.12.1976 को निर्गत वासगीत पर्चा किस वरीय पदाधिकारी के आदेश से संशोधित किया गया, स्पष्ट नही है। अपीलकर्त्ता के द्वारा दाखिल संशोधित वाद संख्या-01/90-91 में पारित आदेश विधि वे अनुकूल नही है। प्रश्नगत जमीन वासगीत पर्चाधारी का दखल कब्जा चला आ रहा है तथा प्रश्चगत जमीन पर पूर्व में ही वाद संख्या-40/11 में उनके न्यायालय से दिनांक 19.07.2011 का आदेश पारित है। निम्न न्यायालय द्वारा अपीलकर्त्ता के अर्जी आवेदन को खारिज किया गया है। विपक्षी द्वारा कोई भी पर्चा एवं प्रासंगिक कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपरोक्त तथ्यों का गहन समीक्षा किया। अपीलकर्त्ता द्वारा दाखिल लिष्ट ऑफ डाकुमेन्टस दिनांक 09.12.2014 के साथ अंचलाधिकारी, सहरसा के विविध वाद संख्या-01/90-91 में पारित आदेश दिनांक 07.07.1990 की छायाप्रति संलग्न की गयी है, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि पर्चाधारी नसीर उद्दीन एवं खलील उद्दीन साकिन-रहुआमणि को खाता 287 खेसरा 583 रकवा 04 डीसमील का पर्चा निर्गत किया गया है। अपीलाथी द्वारा दाखिल कागजात एवं BBCJ 1987 page 821, से 826 देखा. जिससे अपीलकर्त्ता के कथन की पुष्टि होती है कि उक्त वासगीत पर्चा के रकवा को अंचलाधिकारी, सहरसा द्वारा वाद संख्या-1/90-91 में सेशोधित किया गया है जिसके लिए वे BPPHT Act 1947 के अर्न्तगत सक्षम पदाधिकारी हैं वर्णित स्थिति में अपीलार्थी का आवेदन स्वीकृत करतें हुए निम्न न्यायालय का आदेश निरस्त (Set aside) किया जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस करें, वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापीत एवं संशोधित।

9.12.14

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

9.12.14

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा